न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 17 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. कुम्पसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
2. पृथ्वीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
4. हाथीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
5. किशनकंवर पत्नी उम्मेदसिंह

जातियान राजपूत निवासी लापलनाडी तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.सगतसिंह पुत्र खीमसिंह
2.गंगसिंह पुत्र खीमसिंह
3.प्रतापसिंह पुत्र खीमसिंह
4.भोमसिंह पुत्र सवाईसिंह
5.महेशसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 6 वर्ष
6.भवनसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 4 वर्ष
7.अचनकंवर पत्नी सवाईसिंह रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अचनकंवर
8.भाखरसिंह पुत्र सांगसिंह
9.बाबूसिंह पुत्र सांगसिंह जातियान राजपूत निवासी लापलनाडी तहसील व जिला बाड़मेर।
10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर।
11.श्रीमान शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरेस
12.श्रीमान शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा स्टेशन रोड़ बाड़मेर
13.श्रीमान शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा विशाला।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के प्रकरण संख्या 360 / 2018 बअनवान सगतसिंह बनाम कूम्पसिंह निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल बी एल रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेंट संख्या 01 से 09 की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 03.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा लांपलनाडी पटवार हल्का नांद तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 732 / 747 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 733 रकबा 50.18 बीघा, खसरा संख्या 835 / 729 रकबा 26.12 बीघा, खसरा संख्या 857 / 732 रकबा 202.04 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 279.16 बीघा में रेस्पोडेंट संख्या 01 से 09 के 1 / 2 हिस्से तथा अपीलांट संख्या 01 से 05 का हिस्सा 1 / 2 राजस्व रेकर्ड में खुला हुआ होने से उक्त भूमि का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड विभाजित करने का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 19.07.2018 को तलबी व जबावदावा हेतु मुर्करर की परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मुर्करर तारीख से पूर्व पढा लिखा होशियार चालाक उतरदाता संख्या 03 प्रतापसिंह अनपढ, भोले रेस्पोडेंट को आपसी सहमति से कब्जे काश्त अनुसार बंटवाडा करने का कहकर दिनांक 12.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में लाया व अधीनस्थ न्यायालय में कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाने का राजीनामा लिखना बताकर कुछ खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करवाकर राजीनामा पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन पत्रावली पेशी में लेकर राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अपीलांट के खाली पेपरों पर अगुष्ठ व हस्ताक्षर करवाकर उस पर मनमर्जी से कब्जे काश्त के विपरित नजरी नक्शा तैयार कर अपीलांट को बताये बिना, बिना उनके ज्ञान के की गई कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। नजरी नक्शा कब्जे काश्त के विपरित तैयार किया गया है जिसमें अपीलांट की रहवासी ढाणी, टांके बाडे आदि रेस्पोडेंट के कब्जे में चले गये है तथा बेरा की भूमि खसरा संख्या 732/747 एक मात्र रेस्पोडेंट ने लेली है तथा पक्षकारान के संयुक्त खर्चे से बना कृषि कुआ भी रेस्पोडेंट ने अपने हिस्से की भूमि में ले लिया है तथा सम्पूर्ण भूमि के छोटे–छोटे टुकडे कर दिये गये है तथा उनके एक खेत से दूसरे खेत में आने जाने के लिये रास्ता भी नहीं रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 19.07.2018 को तलबी व जबावदावा हेतु मुर्करर की परन्तु मुर्करर तारीख से पूर्व पढा लिखा होशियार चालाक उतरदाता संख्या 03 प्रतापसिंह अनपढ, भोले रेस्पोडेंट को आपसी सहमति से कब्जे काश्त अनुसार बंटवाडा करने का कहकर दिनांक 12.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में लाया व अधीनस्थ न्यायालय में कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाने का राजीनामा लिखना बताकर कुछ खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करवाकर राजीनामा पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन पत्रावली पेशी में लेकर राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अपीलांट के खाली पेपरों पर अगुष्ठ व हस्ताक्षर करवाकर उस पर मनमर्जी से कब्जे काश्त के विपरित नजरी नक्शा तैयार कर अपीलांट को बताये बिना, बिना उनके ज्ञान के की गई कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। नजरी नक्शा कब्जे काश्त के विपरित तैयार किया गया है जिसमें अपीलांट की रहवासी ढाणी, टांके बाडे आदि रेस्पोडेंट के कब्जे में चले गये है तथा बेरा की भूमि खसरा संख्या 732/747 एक मात्र रेस्पोडेंट ने लेली है तथा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पक्षकारान के संयुक्त खर्चे से बना कृषि कुआ भी रेस्पोडेंट ने अपने हिस्से की भूमि में ले लिया है तथा सम्पूर्ण भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े कर दिये गये है तथा उनके एक खेत से दूसरे खेत में आने जाने के लिये रास्ता भी नहीं रखा है। अपीलांटगण को सुनवाई का विधि सम्मत समुचित अवसर नहीं देकर फर्जी एवं छलकपट कर अपीलांटगण को अंधरे में रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। और सहखातेदारों के मध्य विभाजन में हिस्सा बराबर–बराबर तय किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामे के आधार पर पारित किया गया है। अपीलांट के साथ किसी प्रकार का छल किया होता तो कही मुकदमा दर्ज करवाया क्या? आदेश 23(3)–क सी पी सी अनुसार राजीनामे के बाद अपील करना न्यायोचित नहीं है। अपीलांटगण बंटवारें को रोकने की नियत से तथा मुझे मेरे हिस्से से वंचित रखने की नियत से मामले को लंम्बा करना चाहते है। अपीलांटगण द्वारा साफ हाथों से एवं सद्भावना के साथ न्यायालय में अपील पेश नहीं की है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री व कथित नजरी नक्शे का अनपढ, भोले अपीलांट को इतने समय तक कोई ज्ञान नहीं था अर्सा 7 दिन पूर्व तहसीलकर्मी पटवारी हल्का आदि द्वारा विभाजन करने मौके पर अपने पर उक्त कथित नजरी नक्शा अनुसार विभाजन करने को मना किया व अपीलांट ने दिनांक 18.03.2019 को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर धोखाधड़ी से तैयार कथित नजरी नक्शे तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले मांगी जो दिनांक 19.03.2019 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील तकरीबन 08 माह बाद पेश की गई है जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष द्वारा अपने संयुक्त हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश राजीनामा दिनांक 12.07.2018 के आधार पर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री में सहखातेदारों के मध्य विभाजन में हिस्सा बराबर–बराबर तय किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। राजीनामा के आधार पर लोक अदालत की भावना के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील लाई नहीं करती है। आदेश 23(3)–क सी पी सी के अनुसार "कोई डिक्री अपास्त करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है, विधिपूर्ण नहीं था।" अपीलांटस द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांटस के साथ धोखा या छल किया गया हो। प्रथम दृष्टया अपीलांटस की कार्यवाही सद्भाविक नहीं लगती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के प्रकरण संख्या 360/2018 बअनवान सगतसिंह बनाम कूम्पसिंह निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2018 यथावत रखा जाता है साथ ही इस आशय के अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष के आवासीय भवन व रास्ते की सुविधा को देखते हुए बाई मीटस एण्ड बाउण्ड अंतिम डिक्री पारित करे।

(नाथूसिंह संजोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner